

पत्र सं०— वि.प्रा० (IV) योजना—०८ / २०१९—
बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

/ पटना, दिनांक

विषय— विभागान्तर्गत नवस्थापित २ (दो) राजकीय पोलिटेक्निक संस्थानों में वर्ष २०१९–२० से सत्रारंभ करने हेतु संस्थान के वर्गकक्ष, प्रयोगशाला, कर्मशाला, पुस्तकालय में आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण, उपस्कर एवं सॉफ्टवेयर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रु. २०,००,०००=०० (बीस लाख रुपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष २०१९–२० में संबंधित मेंटर संस्थानों को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश— स्वीकृत।

राज्य सरकार ने विभागान्तर्गत नवस्थापित २ (दो) राजकीय पोलिटेक्निक संस्थानों में वर्ष २०१९–२० से सत्रारंभ करने हेतु संस्थान के वर्गकक्ष, प्रयोगशाला, कर्मशाला, पुस्तकालय में आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण, उपस्कर एवं सॉफ्टवेयर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रु. २०,००,०००=०० (बीस लाख रुपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष २०१९–२० में संबंधित मेंटर संस्थानों को विमुक्त करने की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की है—

क्रम	संस्थान का नाम	स्वीकृत राशि (रुपये में)
१	राजकीय पोलिटेक्निक, अरवल	१०,००,०००=००
२	राजकीय पोलिटेक्निक, जहानाबाद	१०,००,०००=००
	कुल	२०,००,०००=००

२. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष २०१८–१९ में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष-४२०२ –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –०२–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष-१०४ –बहुशिल्प, मांग संख्या-४३, उपशीर्ष-०१०९–पोलिटेक्निक (निश्चय) के अधीन ५२ ०१ मशीनें एवं उपस्कर–कार्यालय विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलित होगा, जिसका विपत्र कोड ४३-४२०२०२१०४०१०९ है।
३. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित मेंटर संस्थान के प्राचार्य होंगे।
४. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार, नवादा एवं पटना से की जायेगी।
५. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली-२००५ का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा तथा क्रय की गई मशीनरी/कम्प्यूटर/सामग्रियों की प्रविष्टि संस्थान के भंडार पंजी में करना प्राचार्य सुनिश्चित करेंगे एवं प्राचार्य इसे सत्यपित करेंगे।
६. उक्त स्वीकृत राशि से नियमानुसार क्रय की जाने वाली उपकरण एवं उपस्कर की गुणवत्ता के लिए संस्थान के प्राचार्य सीधे जिम्मेवार होंगे तथा क्रय की गई उपकरण एवं उपस्कर की सूची सहित उसके अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
७. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष २०१८–१९ में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।
८. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- ३७५८ वि., दिनांक ३१.०५.२०१७ के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।
९. वित्त विभाग के पत्रांक- ७३५५ वि(२), दिनांक ०५.१०.२००७ के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/ -

(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या— वि.प्रा. (IV) योजना—08 / 2019—

/ पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि:— महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ —

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या— वि.प्रा. (IV) योजना—08 / 2019—

/ पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि:— कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, नवादा एवं पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ —

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या— वि.प्रा. (IV) योजना—08 / 2019—

/ पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि:— प्राचार्य, राजकीय पोलिटेक्निक, नवादा एवं नवीन राजकीय पोलिटेक्निक, पटना—13 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ —


सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या— वि.प्रा. (IV) योजना—08 / 2019—

726

/ पटना, दिनांक— 25/2/2019

प्रतिलिपि:— माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/बजट सहायक/आईटी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव
